20/04/26

कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी

इश्तिहार नीलामी ठेका वर्ष 2026–2027

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीलामी दि0 30.04.2026 को समय 4.30 बजे सायं न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश के सामने स्थित लॉन में सम्पन्न होगी।

क0 स0	ठेके का विवरण	कमवार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (पिछली बोली का 10 प्रतिशत बढ़ाकर)
1.	दुकान नं0 3, चाय, भीठा, नमकीन, पी0डब्लू0डी0 बाउन्ड्री के निकट	31,075
2.	ठेका फ्रूट जूस	37,180
3.	ठेका स्टेशनरी लाकप भवन के निकट कुए के पास	24,420
4.	ठेका लइया चना, जिला जजी परिसर में चौकीदार के पुराने आवास के निकट	29,645

नियम व शर्तें

1. उक्त ठेकों की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू राशि दि0 30.04.2026 को दोपहर 4:00 बजे तक जमा करनी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र अथवा निवास प्रमाण–पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
3. ठेका की अवधि दि0 31.03.2027 तक होगी।
4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर तीन किश्तो में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमे एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि व तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियो में देय होगी।
5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रराम्भ करने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रराम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को सडक पर व्यवसाय करने की अनुमति नही होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्यय पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगे, साफ सफाई हेतु डेस्टविन का प्रयोग अवश्य करेंगे।
6. अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते है।
7. निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा तथा शेष जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान बर्तन पानी आदि स्वच्छ रखना होगा।
9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा।
10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोई कर अध्यारोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी स्वयं ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरो के अनुरूप होगा अथवा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।
12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर ठेका अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(रूचि तिवारी) 18/04/26
सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय स0 17, बाराबंकी।

(अंजनी कुमार सिंह)
सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय स0 09, बाराबंकी।

18/04/26
(प्रण विजय सिंह)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
न्यायालय स0 44, बाराबंकी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

1. न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेत।
2. जिलाधिकारी/एन0आई0सी0 की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर चस्पां करने हेतु।

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

Contact Name:- Pradeep Kumar Srivastava, Central Nazir
Contact Email:- dcbri@allahabadhighcourt.in
Contact No. :- 7860516360
Publishing Dt.:- 18.04.2026
Closing Dt.:- 30.04.2026